①

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 157/2021

1. राजेन्द्र सिंह उम्र 54 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मालाराम
2. सुल्तान उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मालाराम
3. मु0 किस्तुरी उम्र 83 वर्ष पत्नी स्व0 श्री मालाराम

समस्त जातियान जाट, निवासीगण ग्राम खीदरसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

1. मामराम उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रणजीत
2. सुरेश उम्र 46 वर्ष स्व0 श्री रणजीत

समस्त जातिगण जाट, निवासीगण ग्राम खीदरसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

3. उपखण्ड अधिकारी चिडावा, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रकरण स्थानान्तरण

— — —

उपस्थितः—

1. श्री हजारीलाल सूनिया, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
4. श्री विजयपाल एवं श्री सुनिल कुमार, अभिभाषक — अनावेदक संख्या 1 लगायत 2 की ओर से।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक संख्या 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.05.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक दावा उनवानी प्रकाश वगैरह बनाम मामराज वगैरह दावा दस्तकरार हक दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 142/2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2021 नियत है। दावा प्रार्थना पत्र वर्णित धारा नम्बर 1 प्रार्थना पत्र विवादित भूमि तहसील झुंझुनूं में स्थित होने से पूर्व में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत किये जाकर विचाराधीन रहे है परन्तु अप्रार्थीगण प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रभावी चल रहे है। निषेधाज्ञा को निरस्त करवाने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय श्रीमान में उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 02.06.2010 को न्यायालय श्रीमान [illegible] को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहा अन्तरित किये जाने का आदेश दिया तब से उक्त [illegible] प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चिडावा में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अ0 आदेश नियम 11 सी0पी0सी0 न्यायालय [illegible] समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 27.05.2011 को उक्त प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई व तारीख पेशी वास्ते आदेश दिनांक [illegible]11 दी गई दिनांक 10.06.2011 के बाद तारीख पेशी वास्ते आदेश अब त[illegible] चलती रही है। उक्त [illegible] पत्रावली में बहस सुनने के उपरान्त करीब 10 साल बीत गये है कानून से न्यायालय को बहस सुने जाने के उपरान्त अधिक से अधिक 1 माह में अपना आदेश पारित कर देना चाहिये तथा किसी कारणवश बहस सुने जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

एक माह की अवधि में यदि आदेश पारित नही किया जा सका है तो पक्षकारान की ओर से पुनः बहस सुनी जाकर उसके पश्चात् ही आदेश पारित किया जाना चाहिये। दिनांक 01.08.2021 को अप्रार्थीगण ने ऐलानियां जाहिर किया कि अदालत के पीठासीन अधिकारी के घर अप्रार्थीगण का उठना व चाय वगैरह पीते देखा है। अप्रार्थीगण गारन्टी से फैसला अपने हक में होने की बात करते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से प्रकरण ने न्याय मिलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। उक्त कथित दोनो प्रकरणों में प्रार्थीगण को अदालत मातहत से निश्चित रूप से न्याय नही मिलेगा ऐसी स्थिति में उक्त दोनो प्रकरण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान् झुंझुनूं के पास 5 किलोमीटर की परिधि में रहते है तथा चिडावा आने जाने में काफी आर्थिक हानि होती है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा उनवानी प्रकाश वगैरह बनाम मामराज वगैरह दावा बाबत इस्तकार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 168/2010 व उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 142/2010 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 105 दिनांक 16.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रा0 पत्र की बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 स्वीकार है। उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2010 को उपखण्ड अधिारी झुंझुनूं से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा मे प्राप्त हुए है। बिन्दू सं0 3 के क्रम मे निवेदन है कि दिनांक 27.05.2011 का वाद पत्र मे अ0 आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुना जाना स्वीकार है। पत्रावली दिनांक 01.07.2011 तक आदेश मे चली उसके बाद पत्रावली मे कायम मुकाम हुए व पुनः बहस दर0 मे चली व उसके बाद फिर से कायम मुकाम मे चल रही है। बिन्दू सं0 4 मे वर्णित तथ्य गलत व निराधर है। बिन्दू सं0 5 मे वर्णित तथ्य गलत व निराधर होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 6 कानूनी है, जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि एक दावा उनवानी प्रकाश वगैरह बनाम मामराज वगैरह दावा दस्तकरार हक दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 142/2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2021 नियत है। दावा प्रार्थना पत्र वर्णित धारा नम्बर 1 प्रार्थना पत्र विवादित भूमि तहसील झुंझुनूं में स्थित होने से पूर्व में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत किये जाकर विचाराधीन रहे है परन्तु अप्रार्थीगण प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रभावी चल रहे है। निषेधाज्ञा को निरस्त करवाने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय श्रीमान में उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 02.06.2010 को न्यायालय श्रीमान में उक्त कथित दोनो प्रकरणों को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहा अन्तरित किये जाने का आदेश [illegible] से उक्त दोनो प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चिडावा में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 03.04.2021 को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अ0 आदेश [illegible] 11 सी0पी0सी0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 27.05.2011 [illegible] सुनी गई व तारीख पेशी वास्ते आदेश दिनांक 10.06.2011 दी गई दिनांक [illegible] तारीख पेशी वास्ते आदेश अब तक चलती रही है। उक्त अनुसार पत्रावली में बहस सुनने के उपरान्त करीब 10 साल बीत गये है कानून से न्यायालय को बहस सुने जाने के उपरान्त अधिक से अधिक 1 माह में अपना आदेश पारित कर देना चाहिये तथा किसी कारणवश बहस सुने जाने से एक माह की अवधि में यदि आदेश पारित नही किया जा सका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तो पक्षकारान की ओर से पुनः बहस सुनी जाकर उसके पश्चात् ही आदेश पारित किया जाना चाहिये। दिनांक 01.08.2021 को अप्रार्थीगण ने ऐलानियां जाहिर किया कि अदालत के पीठासीन अधिकारी के घर अप्रार्थीगण का उठना व चाय वगैरह पीते देखा है। अप्रार्थीगण गारन्टी से फैसला अपने हक में होने की बात करते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से प्रकरण ने न्याय मिलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। उक्त कथित दोनो प्रकरणों में प्रार्थीगण को अदालत मातहत से निश्चित रूप से न्याय नही मिलेगा ऐसी स्थिति में उक्त दोनो प्रकरण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान् झुंझुनूं के पास 5 किलोमीटर की परिधि में रहते है तथा चिडावा आने जाने में काफी आर्थिक हानि होती है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा उनवानी प्रकाश वगैरह बनाम मामराज वगैरह दावा बाबत इस्तकार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 168/2010 व उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 142/2010 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा मे विचाराधीन प्रकरणों को अन्य न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रकरण मे पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं मे सुनवाई की जा रही थी जिसे प्रार्थी की प्रार्थना पर पर ही सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा मे स्थानान्तरित किया गया था। प्रार्थी अब पुनः उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे स्थानान्तरित करवाना चाहता है जो गलत है। फिर भी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रकरण मे पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं मे सुनवाई की जा रही थी जिसे प्रार्थी की प्रार्थना पर ही सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा मे स्थानान्तरित किया गया था। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को साबित करने मे विफल रहाहै। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:35 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं